and the time from which these sidings came into operation ;

(b) whether no agreement was executed with the owner of these sidings and whether as a result thereof there has been financial loss to the Railways; and

(c) if so, what steps Government propose to take against the staff for such negligence causing loss to the Railways ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No.* LT-1563/72] Out of total number of 54 sidings on Allahabad Division, agreements in case of 47 sidings have already been executed and in case of seven sidings only vide items Nos. 39, 41, 49, 50, 52, 53 and 54 of the Statement, the execution of agreement is under finanlisation. The Railway Administration is not incurring any financial loss on this account.

(c) Does not arise.

निर्यातोन्मुखी सूती कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता

1265. **डा० संकटा प्रसाद** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यातोन्मुखी सूती कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता देने की कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) योजना की मुख्य बातें दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

निर्यात अभिमुख सूती वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता सम्बन्धी योजना की मुख्य बातें ।

1. इस योजना के अन्तर्गत केवल वही सूती वस्त्र एकक होंगे जिन्होंने गत दो वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के दौरान अपने उत्पादन का 15 प्रतिशत से अधिक भाग का निर्यात किया हो, ये एकक चाहे मिश्रित किस्म की, बुनाई की अथवा कताई की मिलें हों;

2. औद्योगिक वित्त, निगम, सूती वस्त्र उद्योग के निर्यात अभिमुख एककों से आधुनिकीकरण हेतु ऋण के लिये प्राप्त होने वाले सभी आवेदनपत्रों को निपटायेगा ;

3. औद्योगिक वित्त निगम आवेदनकर्ता एककों की आर्थिक तथा तकनीकी क्षमता का निर्धारण करने और साथ ही ऋणों की सुरक्षा के लिये अपनी सामान्य कसौटी अपनाएगा;

4. ऋणों के चुकाने की अवधि 15 वर्ष होगी जिसमें 3 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि भी शामिल होगी । 15 वर्ष की यह अवधि समुचित मामलों में प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर 18 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है । ऋण स्थगन अवधि समाप्त हो जाने के बाद ऋण चुकाया जाएगा । हां, ब्याज की अदायगी ऋण स्थगन अवधि के बिना छमाही की जायेगी ;

5. औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सूती वस्त्र उद्योग के निर्यात अभिमुख एककों को दिये जाने वाले ऋणों का मार्जिन 25 प्रतिशत होगा ;

6. केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक वित्त निगम को निगम द्वारा अलग-अलग मिलों को दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में होने वाली हानि के 80 प्रतिशत भाग के लिये गारंटियां देगी;

7. औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ब्याज की रियायती दर अर्थात् सामान्य दर से 1 प्रतिशत कम उन एककों

से ली जाएंगी जिनके कार्य परिणामों से गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उनमें लगी पूंजी के 12 प्रतिशत से कम लाभ हुआ है और जिनके सम्बन्ध मे आधुनिकीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वित किये जाने के बाद 4 अथवा 5 वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यचालन प्रयोजनाओ से भी उतने ही लाभ हुए है। तथापि, जब कि एक विशेष एकक का लाभ गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उसके पूंजीगत परिव्यय से बढ़ जाता है और जब इस कारण ऐसे सम्बन्धित एकक शुरू से ही 1 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपदान के लिये पात्र नही होगे तो ऐसे एकको को योजना के अन्तर्गत अनुमत अन्य रियायतो जैसे कि ऋणो पर मार्जिन की घटी दर, हानियों के लिये सरकारी गारटी आदि के दिये जाने पर कोई रोक नही होगी। इसके अतिरिक्त यदि एक बार एक मिल को 1 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर का लाभ देने के लिये स्वीकार कर लिया जाता है तो बाद में यदि उसका लाभ 12 प्रतिशत से अधिक होता है तो उसे यह रियायत देने के लिये मना नही किया जाएगा तथापि, जिन एकको के लाभ का स्तर 12 प्रतिशत से अधिक का है, उन्हें अपने निर्यातों में वृद्धि करने के लिये प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उनके कार्यचालन पर निगरानी रखी जानी चाहिए ;

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ब्याज की रियायती दर के लिये पात्र मिल से इस आशय की एक स्वीकृति प्रकट की जाएगी कि वह ऋणो की अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने उत्पादन के 15 प्रतिशत अथवा उससे अधिक भाग का निर्यात करती रहेगी और यह कि यदि किसी वित्तीय वर्ष मे इस शर्त को पूरा करने में वह मिल असफल रहती है तो वह आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान ब्याज की रियायती दर के लिये पात्र नही होगी। तथापि, यदि कमी को आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा कर लिया जाता है तो अगले वर्षों के लिये उपदान देने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सरकार को सम्बन्धित एकक से निर्यात दायित्व की कमी के बराबर सूत और/अथवा कपडे को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी निर्यात कीमत पर अपने अधिकार में लेने और उसे किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से निर्यात करने का अधिकार होगा ;

9. जिन मिलो को औद्योगिक वित्त निगम द्वारा पहले ऋण दिये गये थे उनमे से प्रत्येक के सम्बन्ध मे पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान के निर्यात निष्पादन के बारे मे वस्त्र आयुक्त द्वारा एक प्रमाणपत्र हर वर्ष 30 जून तक औद्योगिक वित्त निगम को दिया जायगा ताकि औद्योगिक वित्त निगम यह निर्धारित कर सके कि किन मामलो में रियायती दर की सुविधा नही दी जानी है ;

10. केन्द्रीय सरकार ब्याज की रियायती दर के लिये उपदान देगी;

11. आवेदनपत्र वस्त्र आयुक्त द्वारा समय-समय पर आमंत्रित किए जाएंगे जो कि औद्योगिक वित्त निगम द्वारा निर्धारित सगत प्रपत्रो मे होगे और ये आवेदनपत्र ऐसे और दस्तावेज तथा जानकारी के साथ, जो कि आवेदनपत्र मागने के नोटिस मे अथवा वस्त्र आयुक्त द्वारा, अथवा

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा निर्धारित किये जाएं, वस्त्र आयुक्त के माध्यम से प्रस्तुत किये जाएंगे ;

12. इन आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही वस्त्र आयुक्त द्वारा आवेदनकर्ता मिलों के निर्यात निष्पादन के क्रम में की जाएगी और ऋणों के देने के सम्बन्ध में और यदि अनुमत हो तो ब्याज की रियायती दर के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों के साथ उन्हें औद्योगिक वित्त निगम को अग्रेषित कर दिया जायगा

PURCHASE OF RUBBER BY CENTRE

1266. SHRI C. K. CHANDRAPPAN : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state:

(a) the amount spent by the Centre for buying rubber from open market in Kerala last year;

(b) how far it has averted the crisis in rubber industry; and

(c) whether this policy will continue this year too ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) As there was fall in indigenous rubber prices due to low off-take by the manufacturers, the State Trading Corporation was directed in October, 1970 to enter in the rubber purchase operations. The Corporation has got 4 centres at Cochin, Kottayam, Calicut and Parakod and rubber purchase operations are continuing. In December 1971, Government of Kerala were given a loan of Rs. 2.5 crores for rubber purchase operations and two instalments of Rs. 50 lakhs each have since been released for the purchase of rubber from small growers.

Rubber was purchased by State Trading Corporation and Kerala State Government at a value of Rs. 6.53 crores during the year 1971.

(b) and (c). The price of rubber has not improved to the notified level. However, the price prevailing at Rs. 375 per 100 kgs. for lot rubber in December, 1971 has risen to Rs. 465 per 100 kgs. as on 21-3-1972. The entry of the Kerala State Government in December, 1971 in addition to S. T.C. in the rubber market has helped the rubber industry and is expected to stabilise prices of rubber.

COMPLAINT RE : DISTRIBUTION OF RAW CASHEW NUTS

1267. SHRI C. K. CHNADRAPPAN : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaint regarding the policy of the Cashew Corporation of India in distributing the raw cashew nuts;

(b) if so, the nature of the complaint; and

(c) the decision of the Government thereon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) Yes, Sir.

(b) The distribution of raw cashew nuts should be made only on the basis of the past export performance of the parties.

(c) The Standing Adivsory Committee of Cashew Corporation of India which includes representatives of the industry also, has reviewed the matter and recommended that the present distribution policy should be continued for distribution of raw cashew nuts. The Government is examining the recommendation.

REORGANISATION OF KERALA HANDLOOM INDUSTRY

1268. SHRI C. K. CHANDRAPPAN : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state:

(a) whether Government have received any comprehensive scheme from Kerala proposing the reorganisation of the handloom industry and seeking centre's assistance;

(b) if so, the salient features of this scheme; and

(c) the decision taken by the Centre in the matter ?